

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 180/2026

दिनेश सिंहयाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 23 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कैलाश नाथ सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पटल पर उपलब्ध मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 चकबंदी अधिकारी, सदर को वाद संख्या 2/104 वर्ष 2010-11 (अशोक कुमार बनाम राज्य) यू.पी.सी.एच. नियमावली के नियम 109 के तहत, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित समय के भीतर तय करने का आदेश दिया जाए (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1)।"
3. यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली के नियम 109 के तहत एक आवेदन वर्ष 2009 से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

विनय